कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश

परिपत्रांक सी0-68/ओ0पी0/यू0पी0सी0बी0/ दिनांकः लखनऊ 18 नवम्बर, 2015

1. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
   जिला सहकारी बैंक उ0 प्र0।

2. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0 प्र0।

विषय– जिला सहकारी बैंकों द्वारा विविधिकृत ऋण वितरण एवं वसूली की समीक्षा।

उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम की धारा 29–ए के अन्तर्गत सहकारी समितियों (पैक्स, जिला सहकारी बैंक एवं यू0पी0सी0बी0) की प्रबन्ध समितियों के अधिकार एवं दायित्व दिये गये हैं। उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 A(b)(vi) और (vii), के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधान है:–

धारा 29 क (ख) (छः)– यह देखने कि ऋण और अग्रिम उन प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त किये जाते है जिनके लिए वे तात्पर्यित है और यह भी उनका प्रतिसंदाय नियमित रुप से किया जा रहा है;

(सात)–ऋणो एवं अग्रिमों के प्रतिसंदाय मे समस्त बकायों और व्यतिकमों के मामलों में परीक्षण करने एवं तुरन्त कार्यवाही करने;

जिला सहकारी बैंकों की मुख्यालय स्तर पर आहूत समीक्षा बैठकों में पाया जा रहा है कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा वितरित विविधिकृत ऋण की वसूली संतोषजनक नहीं है एवं काफी संख्या में ऋण एन0पी0ए0 हो गये हैं। इससे प्रतीत होता है कि बैंकों द्वारा अधिनियम में दिये गये प्राविधान के अनुसार ऋण स्वीकृत करते समय वांछित सावधानी नहीं बरती जा रही हैं एवं ऋण स्वीकृत करने के उपरान्त उनकी वसूली पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आपसे आपेक्षित है कि आप द्वारा माहवार संलग्न प्रारूप–1 पर निर्गत विधिधिकरण ऋण की सूचना सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक / संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक एवं उ0 प्र0 सहकारी बैंक को प्रेषित की जायेगी।

विविधिकृत ऋण की जो धनराशि एन0पी0ए0 हो गयी हैं, की सूचना प्रारूप–2 पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/ संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक/ उ0 प्र0 सहकारी बैंक को भेजी जायेगी।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/ संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक स्वयं एवं अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं उ0 प्र0 सहकारी बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कम से कम 10 प्रतिशत ऋणों का सत्यापन करायेंगे एवं प्रारूप–2 पर एन0पी0ए0 की वसूली की समीक्षा कर उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 के प्राविधानों के अन्तर्गत इन ऋणों की वसूली भी सुनिश्चित करायेंगे। उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0 द्वारा अपने स्तर पर आहूत मासिक समीक्षा बैठक में भी वितरित विविधीकरण ऋणों एवं उसके सापेक्ष वसूली एवं

एन0पी0ए0 ऋणों की वसूली की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी और समीक्षा टिप्पणी माहवार आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता के समक्ष उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैक द्वारा उपरोक्त सूचना बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक में भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ

परिपत्रांक सी-68/ [illegible] / यू0पी0सी0बी0/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी बैंक लि0 लखनऊ।
2. प्रबन्धक निदेशक, उ0 प्र0 ग्राम विकास बैंक लि0 लखनऊ को इस आशय के साथ कि उपरोक्तानुसार समीक्षा की व्यवस्था उ0 प्र0 ग्राम विकास बैंक में भी सुनिश्चित की जाए।
3. समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, मुख्यालय।
4. वित्त नियन्त्रक/वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. समस्त संयुक्त आयु0 एवं संयुक्त नि0 सहकारिता।

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (अधि0)
सहकारिता, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।